

ORDER SHEET

JUDICIAL, MAGISTRATE, FIRST CLASS

Case No.

07 20

Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer

Signature of _____

Parties of

placers were

Necessity

आज आरक्षी केन्द्र 2584 के उपनिरीक्षक / सहायक
 उपनिरीक्षक / प्रधान आरक्षक / आरक्षक निरीक्षक
 को द्वारा शान प्रगरी की ओर से अपराध
 को 194/16 अंतर्गत धारा 342 के अधीन दण्डनीय
 भा0द0सं0/ अपराध में अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध अभियोग
 पत्र / परिवाद पत्र प्रस्तुत किया गया।

राज्य द्वारा ए०डी०पी०ओ० श्री. वि. वि. वि. उप०।

अभियुक्त / अभियुक्तगण.

निवासी / निवासीगण

11.11.2015

उपरिस्थित । अभियुक्त / अभियुक्तगण की ओर से अधिवक्ता

श्री.....द्वारा
X
किया।

अभियोग पत्र/परिवाद पत्र समयावधि के भीतर प्रस्तुत किया गया

प्रकरण में संज्ञान के विषय पर विचार किया गया। अभियोग पत्र/परिवाद पत्र व प्रस्तुत दस्तावेज के अवलोकन से प्रथम दृष्टया अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्तानुसार धारा ३०२(१) सिविल डिप्लोमिया अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने के आधार प्रकट हो रहे हैं। अतः अभियुक्त / अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा ३०२(१) सिविल डिप्लोमिया अधिनियम के अधीन कार्यवाही किये जाने का आदेश दिया जाता है।

प्रकरण का पंजीयन आगमिका
किया जावे।
पंजी 68320/15
दृ

अभियुक्त / अभियुक्तता 2020 के द्वारा 207 के अधीन प्रावधानों के प्रकाश में अभियोग पत्र एवं अभियोग के निःशल्क दिलाये

—

Date of
proceeding

Continuation of proceeding with Signature of Presiding Officer

चूँकि मामला संक्षिप्त विचारणीय है। अतः संक्षिप्त विचारण प्रारम्भ किया गया। अभियुक्त/अभियुक्तगण के विरुद्ध धारा 37 भा0द0स0 / अभियुक्त की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त अधिनियम के अधीन अपराध की विशिष्टियां विरचित कर अभियुक्त ने अपराध को पढ़कर सुनाये और समझाये जाने पर अभियुक्त ने अपराध करना स्वेच्छया स्वीकार किया। अतः अभिवाक यथा संभव उसके शब्दों में लेखबद्ध किया गया।

अभियुक्त/अभियुक्तगण की स्वेच्छया अपराध की स्वीकारोक्ति को ध्यान में रखते हुए निर्णय प्रथम से दत्तित करारकर हस्ताक्षरित, दिनांकित, गुदांकित कर घोषित किया गया। अभियुक्त को उक्त अपराध के अधीन दोषसिद्ध करते हुए न्यायालय अवसान तक की अवधि के दण्ड एवं रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को दिवस का साधारण कारावास भुगताया जावे।

निर्णय की निशुल्क प्रति अभियुक्त को प्रदान कर पावती ली जाये।

जप्तसुदा संपत्ति रूपये राजसात किये जायें। रांपत्ति 24,000 मूल्यहीन होने से नष्ट कर व्ययनित की जाये। जप्तसुदा वाहन की दशा में वाहन उसके स्वामी को लौटाया जाये। सुपुर्दगी की दशा में सुपुर्दगीनामा निरस्त किया जाता है तथा अपील की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशों का पालन हो।

प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में पंजीबद्ध कर विहित अवधि में अभिलेख संचयन हेतु आवश्यक प्रतिपूर्ति उपरांत अभिलेखागार प्रेषित किया जाये।

A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,

Gohad Dist. Bhind (M.P.)

पुनश्च:

निर्णयानुसार अभियुक्त/अभियुक्तगण ने अर्थदण्ड की राशि 500/- रूपये अदा की जिसकी पावती बुक क0 5624 रसीद क0 70 दी गई। अभियुक्त/अभियुक्तगण को सजा भुगताई गई।

प्रकरण उपरोक्त निर्देश अनुसार संचित हो।

A.K. Gupta

Judicial magistrate first class,

Gohad Dist. Bhind (M.P.)